अपील

दिनांक 17.02.2016

दिनांक 15.02.2016 से राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी माननीय शेट्टी आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर अनाधिकृत रूप से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

माननीय शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने बाबत् माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक आदेश दिनांक 16.03.2015 एवं राजस्थान न्यायिक कर्मचारियों द्वारा इस संबंध में दिये गये प्रतिवेदनों पर राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा विचारोपरान्त न्यायिक कर्मचारियों की वेतनमान में संशोधन सहित शेट्टी कमीशन की शेष सभी सिफारिशों को लागू करने बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदन के बाद पत्र दिनांक 01.09.2015 द्वारा राज्य सरकार को उक्त संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने हेतु प्रेषित की गयी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.12.2015 एवं 28.12.2015 को चाही गई टिप्पणी/स्पष्टीकरण भी इस कार्यालय के पत्रों क्रमश: दिनांक 21.12.2015 एवं 29.12.2015 द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित की गई। इसके अलावा समय-समय पर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ से प्राप्त प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित किये गये।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया एवं स्टेनोग्राफर को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया, शेष सिफारिशें राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं । इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं, जिसे कर्मचारी संघ को अवगत कराया जा चुका है ।

इस प्रकार मामला राज्य सरकार के समक्ष लंबित होने के कारण न्यायिक कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यालय में अनुपस्थित रहकर आन्दोलन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा उनका यह कृत्य वादकारियों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है ।

उपरोक्त परिस्थितयों में समस्त न्यायिक कर्मचारियों को जनहित में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने से निषेधित किया जाता है और अपील की जाती है कि वे अपने कर्तव्य की पालना हेतु कार्यालय में अविलम्ब उपस्थित हो ।

आज्ञा से

17/2/16

रजिस्ट्रार जनरल
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर